

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7194/2015

सारनाथ गुर्जर पुत्र श्री मेवाराम गुर्जर उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम नरपत्यावास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, चोमू हाउस, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. कार्यकारी निदेशक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर (राजस्थान)।
3. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वैशाली नगर डिपो, जिला जयपुर (राज.)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री आर.एम.बैरवा
सुश्री अनामिका अरोड़ा

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

30/08/2024

प्रकाशनीय

1. वर्तमान रिट याचिका में, इस न्यायालय के विचारार्थ यह मुद्दा उठता है कि "जब जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार के आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी उनसे भिन्न राय दे सकता है और दोषी कर्मचारी को कोई अवसर दिए बिना विपरीत निष्कर्ष दे सकता है।"
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, प्रतिवादियों द्वारा पारित दिनांक 10.03.2015 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को इस आरोप पर 1,407/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा चलाए गए वाहन द्वारा अधिक मात्रा में डीजल की खपत की गई थी।

3. वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को एक आरोपपत्र दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा संचालित वाहन द्वारा अत्यधिक मात्रा में डीजल की खपत की गई, जिससे निगम को 2,814/- रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। वकील ने दलील दी कि उपरोक्त का विस्तृत उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था और उसमें कहा गया था कि एफआई पंप में खराबी के कारण वाहन द्वारा अत्यधिक मात्रा में डीजल की खपत हुई थी। वकील ने दलील दी कि जाँच अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर से संतुष्ट थे और उन्हें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन याचिकाकर्ता को कोई असहमति नोट/नोटिस जारी किए बिना, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सीधे याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक आदेश पारित कर दिया। वकील ने दलील दी कि वाहन द्वारा अत्यधिक मात्रा में डीजल की खपत याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार का कदाचार नहीं है, इसलिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

4. प्रतिवादी के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही के कारण, वाहन द्वारा अधिक मात्रा में डीजल की खपत हुई, जिससे प्रतिवादी-निगम को वित्तीय नुकसान हुआ है। वकील ने प्रस्तुत किया कि तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से जब एक ही वाहन को दो अलग-अलग लोगों द्वारा चलाया गया था, तो पाया गया कि वाहन का औसत/माइलेज और डीजल की खपत कम थी, जब एक ही वाहन याचिकाकर्ता द्वारा चलाया गया था, इसलिए, नुकसान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था। इसलिए, इन परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था, याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड आदेश सही ढंग से पारित किया गया था, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त आरोपों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया था और याचिकाकर्ता के जवाब से संतुष्ट होने पर, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं पाया, लेकिन याचिकाकर्ता को कोई असहमति नोट/नोटिस जारी किए बिना, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सेवा न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ सीधे दंड आदेश पारित कर दिया है।

7. यह सर्वविदित है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी पूर्व द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और असहमति की स्थिति में अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी को सुनवाई का अवसर देने के बाद असहमति के कारणों को दर्ज करना होगा, यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दंड लगाने या मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को भेजने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त है तो वह अपना निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
8. अतः यह स्पष्ट है कि जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं है और यदि दोषी कर्मचारी को असहमति नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो सुनवाई के अवसर से इनकार करना स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
9. राम किशन बनाम भारत संघ के मामले में, **1995(6) एससीसी 157** में रिपोर्ट किया गया, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नानुसार माना है:

“जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति की स्थिति में, कारण बताओ नोटिस का उद्देश्य अपराधी को यह दर्शाने में सक्षम बनाना है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट में दिए गए कारणों से जाँच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमत न होने के लिए सहमत है, अन्यथा वह जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के समर्थन में अतिरिक्त कारण प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में, जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस में वे विशिष्ट कारण नहीं बताता जिनके आधार पर जाँच अधिकारी के निष्कर्ष उस संबंध में आधारित हैं, अपराधी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत होने के लिए संतोषजनक कारण बताना कठिन होगा। कारण बताओ नोटिस में किसी भी आधार या कारण के अभाव में यह एक खोखली औपचारिकता है जिससे अपराधी अधिकारी को गंभीर नुकसान होगा और उसके साथ अन्याय होगा। केवल यह तथ्य कि अंतिम आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमत होने के कुछ कारण दिए गए हैं, दोष को दूर नहीं कर सकता।”

10. पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा के मामले में, **1998(7)** एससीसी **84** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 19 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह होगा कि विनियम 7(2) में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी आरोप के विषय पर जाँच प्राधिकारी से असहमत होता है, तो ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे असहमति के अपने संभावित कारणों को दर्ज करना होगा और दोषी अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें उसके निष्कर्ष शामिल हैं, उसे सूचित करना होगा और दोषी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर देना होगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, अंतिम निर्णय लेने वाले और दंड लगाने वाले प्राधिकारी को, कदाचार के आरोपी अधिकारी को, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।”

11. उपरोक्त के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि एक दोषी कर्मचारी को न केवल उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर जाँच अधिकारी द्वारा की जा रही जाँच कार्यवाही के दौरान, बल्कि उस चरण में भी सुनवाई का अधिकार है जब अनुशासन प्राधिकारी इन निष्कर्षों पर विचार करता है और बाद में अनुशासन प्राधिकारी यह अस्थायी राय बनाता है कि वह जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। यदि दोषी के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किए जाते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो अनुशासन प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे निष्कर्ष दर्ज करने से पहले दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दे।

12. इस मामले में भी जाँच अधिकारी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं लगे, बल्कि सेवा न्यायशास्त्र के अनिवार्य प्रावधानों से परे जाकर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध सीधे ही आक्षेपित दंड

आदेश पारित कर दिया। अतः, आक्षेपित दंड आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है और इसे निरस्त एवं अपास्त किया जाना उचित है।

13. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 10.03.2015 का विवादित आदेश रद्द एवं अपास्त किया जाता है।

14. प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उसके विरुद्ध नए सिरे से जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

16. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

आशु/131

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी